न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः राजवीर सिंह चौधरी, अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्याः 03/2016, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,दौसा जिला दौसा।

<u>बनाम</u>

2. श्री ईस्माइल खॉ पुत्र कजोड खॉ जाति मुसलमान निवासी जगनेर तुर्कान पुलिस थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा।

<u>कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975</u>

उपस्थिति : लोक अभियोजक -- पैरोकार सरकार उपस्थित।
: चन्द्रशेखर -- गैरसायल उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः— 01.06.2018

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा की ओर से मार्फत पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा कि गैर सायल श्री ईस्माइल खॉ पुत्र कजोड खॉ जाति मुसलमान निवासी जगनेर तुर्कान पुलिस थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा का रहने वाला है जो जुआ—सट्टा खेलने एवं खिलाने के दुष्प्रेरण में लगा हुआ है जिससे इलाका थाना में आम जन को सम्पत्ति का नुकसान हो रहा है। इसके विरूद्ध थाना रामगढ पचवारा में निम्नलिखित मुकदमें दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है तथा अदालत से सजा (जुर्माना) हुआ है—

1 मु0नं0 85/2014 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा

2 मु0नं0 210/2014 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा

3 मु0नं0 248/2015 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्याः 03/2016, गुण्डा एक्ट

उपरोक्त प्रकरणों का विवरण देते हुए गैरसायल को धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमा से बाहर निष्कासित करने की प्रार्थना की है। इस्तगासा दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता गैर सायल की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया की गैर सायल के विरूद्ध दर्ज अभियोगों के संबंध में थानाधिकारी थाना रामगढ पचवारा की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पेश इस्तगासा में गैर सायल द्वारा तीन बार अपराध कारित किया गया है। गैरसायल थाना क्षेत्र थाना रामगढ पचवारा में जुआ–सट्टा करता है एवं अन्य व्यक्तियों को भी जुआ–सट्टा हेतु प्रेरित कर वातावरण को दूषित करता है तथा आम जनता की सम्पत्ति व सुरक्षा को खतरा है। श्री ईस्माइल खॉ पुत्र कजोड खॉ जाति मुसलमान निवासी जगनेर तुर्कान पुलिस थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा के इलाके में रहने से जुआ–सट्टा के दुष्प्रेरण एवं शान्ति भंग होने का अंदेशा है। गांव में सद्भावना का वातावरण व शान्ति बनाये रखना आवश्यक है। गैर सायल की अपराधिक गतिविधियों के कारण धारा 2 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। अतः धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

अधिवक्ता गैर सायल ने जवाब बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी उपरोक्त गतिविधियों में शामिल नहीं है। प्रार्थी के खिलाफ संगीन किस्म का आरोप नहीं है। प्रार्थी के खिलाफ धारा 13 आरपीजीओ के केस है इन केसों का निर्णय भी हो चुका है। प्रार्थी ग्राम जगनेर तुर्कान तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा का निवासी है। प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ग्राम जगनेर तुर्कान में स्थित है। प्रार्थी पर समाज के किसी व्यक्ति के साथ किसी अपराध का आरोप नही है। प्रार्थी के विरूद्ध अंतिम आपराधिक लांच्छन विगत दिनांक 21.11.2015 को एफ.आई.आर नं. 248/2015 लगाया गया था। जिसके बाद आज तक प्रार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक कार्य का लांच्छन नही है। प्रार्थी समाज में परिवार सहित रहता है

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा कृषि कार्य कर अपने परिवार जन का जीविकापार्जन करता है। समाज मे प्रार्थी का व्यवहार भाईचारे का है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज एफ.आई.आर. प्रकरण वर्ष 2014, 2015 के है। इसके पश्चात प्रार्थी के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा कृषि कार्य कर अपने परिवार का जीविकापार्जन करना एंव समाज में प्रार्थी का व्यवहार भाईचारे को होना एवं किसी व्यक्ति के साथ अपराध का आरोप नही होना व्यक्त किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर गै. सायल श्री ईस्माइल खॉ पुत्र कजोड खॉ जाति मुसलमान निवासी जगनेर तुर्कान पुलिस थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण ड्रोप किया जाता है। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक जिला दौसा को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official